

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग

आदेश

बिहार राज्य की काराओं में प्रशिक्षित गृह रक्षकों एवं भूतपूर्व सैनिकों से कक्षपाल के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-10/2013 के आलोक में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 2355/आ0 दिनांक-23.07.2015 द्वारा कक्षपाल के पद के लिए प्रशिक्षित गृह रक्षक श्रेणी में अधियाचित पद के विरुद्ध चिकित्सीय परीक्षण एवं नियुक्ति हेतु कुल 660 अभ्यर्थियों की आरक्षण कोटिवार अनुशंसा प्राप्त हुई। तद्आलोक में निरीक्षणालय के पत्रांक 4335 दिनांक-24.07.2015 के आलोक में सभी अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जाँच एवं प्रमाण पत्रों की जाँच दिनांक 10.08.2015 से 13.08.2015 के बीच की गयी, जिसमें 07 (सात) अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक 689 दिनांक 03.02.2016 द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 10.02.2016 को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुसंध किया गया। दिनांक 10.02.2016 को मात्र तीन अभ्यर्थी विभागीय चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उक्त तीन अभ्यर्थियों में से मात्र दो अभ्यर्थी ही अपने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये, जिन्हें कक्षपाल के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य पाया गया। तदनुसार, बिहार कर्मचारी चयन अयोग द्वारा नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा, चिकित्सीय परीक्षण एवं कागजातों की जाँच तथा विभागीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित 02 (दो) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान पे-बैंड 5200-20200 ग्रेड पे 1900/- में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ कक्षपाल के पद पर पूर्णतः औपबंधिक/अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

2. नियुक्ति के साथ-साथ निम्नांकित अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नाम के समक्ष अंकित किए गए पदस्थापित कारा में अपना योगदान इस पत्र के निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर देना सुनिश्चित करेंगे।

कक्षपाल (प्रशिक्षित गृह रक्षकों से) :-

क्र० सं०	रौल न०	अभ्यर्थियों का नाम एवं पता	गृह जिला	पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5
1	22520192	राम दयाल यादव पिता- श्री जगरनाथ यादव ग्राम-गोडसरा, पो०+थाना-रामगढ़ जिला-कैमूर (भभुआ)-821110	कैमूर (भभुआ)	मंडल कारा, अररिया
2	20220236	हरिकेश्वर कुमार यादव पिता- श्री बैजनाथ यादव ग्रा०+पो०-बढैया, थाना-जीरादेई जिला-सिवान	सिवान	मंडल कारा, किशनगंज

यह नियुक्ति तत्काल औपबंधिक/अस्थायी रूप से छः माह के लिए इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि विशेष शाखा या पुलिस अधीक्षक से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्व कृत अपराध के सत्यापन के संबंध में अथवा अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्रों की सम्पुष्टि संबंधित संस्थान से कराए जाने के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पायी जाएगी तो नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा एवं अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

4. नियुक्त कक्षपाल का योगदान स्वीकृत करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में उन्हें दहेज नहीं लेने/देने संबंधी घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

5. वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या-2469 दिनांक 10.11.2005 के अनुसार

6. सभी संबंधित काराधीक्षकों को निदेशित किया जाता है कि उनके कारा में पदस्थापित किए जा रहे नव नियुक्त कक्षपालों का योगदान पुनः उनके सभी मूल प्रमाण पत्रों की जाँच भलीभांति करते हुए एवं स्वयं संतुष्ट होते हुए तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकृत करेंगे। योगदान स्वीकृति के उपरांत नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्रों की सम्पुष्टि संबंधित संस्थान से तथा उनके चरित्र एवं पूर्व कृत अपराध के लिए सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक तथा विशेष शाखा से छः माह के अंदर कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्पुष्टि कराए जाने के फलाफल से मुख्यालय को भी अवगत कराएँगे।

7. उपरोक्त नवनियुक्त कक्षपालों के नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि अधोहस्ताक्षरी से अधिकतम तीन माह के अंदर अवश्य करा लेंगे। यदि तीन माह के अंदर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कक्षपालों के वेतन की निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

8. किसी भी मामले में किसी प्रकार की शंका का निराकरण अथवा मार्गदर्शन हेतु मुख्यालय को तुरंत अवगत कराएँगे।

महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-30/2015 पार्ट-11316..... पटना, दिनांक 22/1/2016

प्रतिलिपि:- संबंधित नव नियुक्त कर्मियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है कि वे अपने पदस्थापन कारा में योगदान के समय सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी अभिप्रमाणित प्रतियों/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रदत्त प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र एवं दो पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ भी ले जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त के साथ-साथ इस आशय का शपथ पत्र भी देंगे कि उनके द्वारा समर्पित सभी शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सही है।

महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-30/2015 पार्ट-11316..... पटना, दिनांक 22/1/2016

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, संबंधित केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उपकारा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश है कि नव पदस्थापित कक्षपालों के आवासन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं वांछित सामग्री कारा निर्माणशालाओं से अविलम्ब प्राप्त कर नव नियुक्त कक्षपालों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. संबंधित वृत्त काराधीक्षकों को निदेश है कि वृत्ताधीन नव नियुक्त कक्षपालों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तीन माह के अंदर वृत्त स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. उपरोक्त आदेश की सभी कंडिकाओं का अक्षरशः अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जाए।


महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-30/2015 पार्ट-11316..... पटना, दिनांक 22/1/2016


प्रतिलिपि:-सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 2355/आ० दिनांक 23.07.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।


ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-30/2015 पार्ट-11316..... पटना, दिनांक 29/2/2016
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।


ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-30/2015 पार्ट-11316..... पटना, दिनांक 29/2/2016
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-30/2015 पार्ट-11316..... पटना, दिनांक 29/2/2016
प्रतिलिपि:-आईटी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-30/2015 पार्ट-11316..... पटना, दिनांक 29/2/2016
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी
असाधारण अंक में (सी0डी0सहित) प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनु०:- यथावत्।


महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।